



CIRCULAR

Circular no: PFRDA/2022/39/SUP-CRA/14

21st Dec 2022

To

All stakeholders under NPS

Subject: NPS/APY Functionalities released by CRAs during Quarter II (FY 2022-23)

The Central Record Keeping Agencies (CRAs) appointed by PFRDA develop system level functionalities as per the evolving needs of NPS/APY stakeholders.

2. CRAs have the responsibility to develop new functionalities or utilities, establish new processes, offer multiple models of interface for the uploading offices in order to provide maximum flexibility in terms of operation for the benefit of the subscribers as an ongoing exercise to fulfil their obligations which ultimately benefit the Subscribers.
3. The list of functionalities that have been developed and made available by CRAs during Quarter II of the current FY 2022-23 is attached herewith for benefit of subscribers and other stakeholders (Annexure I, II and III).
4. The circular is placed in the intermediary section of CRA on [PFRDA website](http://www.pfrda.org.in) for the information of all NPS/APY stake holders.

Yours sincerely,

Digitally signed by
K MOHAN GANDHI
Chief General Manager



Annexure I - Functionalities released by Protean CRA during Q2 of FY 2022-23

S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
1	eNPS - Subscriber Registration through Digi Locker DL	<p>1. At the time of Subscriber Registration through e-NPS, Subscribers will have an option to open account on the basis of Digilocker (Driving License).</p> <p>2. Subscriber will be redirected to Digilocker website and has to Sign in with login credentials (Mobile/ Aadhaar/ User ID).</p> <p>3. Once logged-in, Subscriber has to provide consent for sharing of documents / information with CRA.</p> <p>4. Name, Address, Date of Birth, Gender and Photo will be fetched from Digilocker</p> <p>5. PRAN will be generated after filling all mandatory fields.</p>
2	NPS Regular - Ease of Subscriber Shifting	<p>Changes in the Inter Sector Shifting (ISS) Process:</p> <p>1. Inter-sector shifting facility in Subscriber login (Other than UoS Subscribers - already available). The target Office shall authorize the shifting request.</p> <p>2. Authorization of ISS request by Source Nodal Office in case of Govt. & PSUs/PSBs Corporate Subscribers prior to Date of Retirement.</p> <p>3. In case of Government Sector and PSUs/PSBs Corporate Subscribers, after Date of Retirement / Superannuation, authorization of ISS request by source Nodal Office is not required.</p> <p>4. Option to Corporate sector Nodal Offices to Flag underlying Subscribers in case of Resignation/ Retirement.</p> <p>5. Auto Inter Sector Shifting of Corporate Subscriber to All Citizens of India Sector after 90 days from the Date of Flagging/Date of Retirement.</p> <p>6. "No ISS" option to Corporate/Govt. sector Nodal Offices to assign and remove Flag to PRANs along with option of document upload so that no shifting request is processed for the PRANs.</p>

S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
3	Option to Continue existing Investment Pattern	Option to continue the existing Investment Choice (PFM/Asset allocation) during Inter Sector Shifting. It is applicable for following: 1. Shifting of Corporate sector Subscribers to All Citizens of India sector. 2. Shifting of Government sector Subscribers to All Citizens of India sector.
4	Avail services through KYNA - Chatbot	Implementation of Phase II of Chatbot - Now, NPS Subscribers can view through KYNA. 1. Account Balance - Subscriber will be able to view Tier wise scheme wise balance in their PRAN. 2. Last Five Contributions - Subscriber will be able to view Tier wise last five contributions made in the PRAN.
5	NPS Regular / NPS Lite - APY - Reduction in Settlement cycle from T+3 to T+2.	NPS redemption requests will be processed on T+2 settlement cycle basis instead of earlier T+3 settlement cycle.
6	Mobile App - Transaction Statement download facility	In addition to existing option of email Transaction Statement in NPS Mobile App, facility has been provided to the Subscribers to download the Transaction Statement.
7	Instant Bank Acct Verification through penny drop during APY - Withdrawal	Implementation of Penny Drop while processing of APY Exit requests: 1. Name of the Subscriber will be matched if Bank Account Number/IFS Code present in CRA records do not match with withdrawal file records. 2. Name of the Subscriber will not be matched if Bank Account Number/IFS Code present in CRA records matches with withdrawal file records.
8	Reduction in the Scheme Preference Change timelines	Reduction in Withdrawal Timelines for processing of Scheme Preference Change requests in same-day pay-in (requests accepted till 10 am).

S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
9	eNPS - Payment Integration Disabling Credit card based contribution under Tier II	Credit card payment has been disabled on eNPS portal for the following features: 1.Tier II Activation 2.Composite Subscriber Registration (Tier I + Tier II) 3. Contribution for Tier II
10	NPS Regular - Changes in Subscriber Registration	Introduction of Separate Registration Form for Govt & Pvt Sector. Major changes are as follows: 1. Removal of address fields in Nominee Section. 2. Standard Nominee relationship. 3. Removal of Bank branch and Bank address. 4. Only one address will be captured.
11	NPS Regular - Subscriber Modification	Changes in the Bank details modification process: 1. Account verification through Penny Drop: a)Subscriber Initiated requests :- i) Nodal Office authorization not required, if Penny Drop & name matching is successful. ii) Nodal Office authorization & Document Upload is mandatory, if Penny Drop is successful & name matching is unsuccessful. b) Nodal Office initiated requests - Maker/Checker process. 2. Introduction of Dual OTP Authentication at Bank details update by Subscriber in addition to eSign.
12	NPS Regular - Subscriber Modification	Introduction of Dual OTP Authentication in addition of eSign for the following features: 1. Photo-Signature update by Subscriber. 2. e-Nomination update by Subscriber.
13	NPS Regular - Scheme Preference Change & higher equity allocation	1. Non Tapering of equity allocation for Asset Class E in case of Active Choice in Tier I. 2. 100% Equity Allocation in case of Tier II without tapering of allocation.



S.No.	Name of Development/ Functionalities	Description
14	NPS Regular - Online Address Change	In addition to offline Aadhaar xml, Subscribers through their login will be able to update address using: 1) Driving License (Digilocker). 2) Online Aadhaar. 3) Aadhaar VID.
15	APY - Subscriber Registration allowed for non tax payers	<u>Subscriber registration in APY</u> from 1st October 2022 onwards is not allowed for citizen who is Income Tax payer.

परिपत्र

परिपत्र संख्या : PFRDA/2022/39/SUP-CRA/14

21st दिसम्बर, 2022

प्रति,

एनपीएस के तहत सभी हितधारक

विषय : सीआरए द्वारा तिमाही II (वित्त वर्ष 2022-23) के दौरान जारी एनपीएस / एपीवाई कार्यप्रणालियां

पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), एनपीएस / एपीवाई हितधारकों की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थागत कार्यप्रणालियाँ विकसित करते हैं।

2. सीआरए की जिम्मेदारी है कि वह अपने दायित्वों को समय से पूरा करने की प्रक्रिया में अभिदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए नई कार्यप्रणालियों या उपयोज्यताओं को विकसित करे, नई प्रक्रियाओं की शुरुआत करे, परिचालन में अधिकतम लचीलापन प्रदान करने के लिए अपलोडिंग कार्यालयों हेतु इंटरफेस के कई मॉडल प्रदान करे, जो अंततः अभिदाताओं के लिए लाभदायक हो।
3. सीआरए द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान विकसित और उपलब्ध कराई गई कार्यप्रणालियाँ, अभिदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए (अनुलग्नक I, II और III) संलग्न हैं।
4. सभी एनपीएस/एपीवाई हितधारकों की जानकारी के लिए, इस परिपत्र को [पीएफआरडीए की वेबसाइट](http://www.pfrda.org.in) पर "intermediary section of CRA" के तहत रखा गया है।

भवदीय,

Digitally signed by
K MOHAN GANDHI

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक I - वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही (Q2) के दौरान प्रोटियन सीआरए द्वारा जारी कार्यप्रणालियाँ।

क्र.सं.	विकास / कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
1	डिजी लॉकर (DL) के माध्यम से ईएनपीएस-अभिदाता पंजीकरण	<p>1. <u>ई-एनपीएस</u> के माध्यम से अभिदाता पंजीकरण के समय अभिदाता के पास डिजीलॉकर (ड्राइविंग लाइसेंस) के माध्यम से खाता खोलने का विकल्प होगा।</p> <p>2. अभिदाता को डिजीलॉकर वेबसाइट पर भेजा जाएगा और उसे लॉगइन क्रेडेंशियल (मोबाइल/आधार/यूज़र आईडी) का उपयोग करते हुए साइन इन करना होगा।</p> <p>3. एक बार लॉग इन हो जाने पर, अभिदाता को सीआरए को दस्तावेज़ / सूचना प्रदान करने के लिए सहमति प्रदान करनी होती है।</p> <p>4. नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग और फोटो को डिजीलॉकर से प्राप्त किया जाएगा।</p> <p>5. सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरने के बाद प्रान जारी हो जाएगा।</p>
2	एनपीएस नियमित - अभिदाता स्थानांतरण की सुविधा	<p>इंटर सेक्टर शिफ्टिंग (आईएसएस)/ अंतर क्षेत्रीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में परिवर्तन:</p> <p>1. अभिदाता लॉग इन में अंतर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण सुविधा (असंगठित क्षेत्र अभिदाताओं के अतिरिक्त- पहले से उपलब्ध)। लक्षित कार्यालय स्थानान्तरण अनुरोध को प्राधिकृत करेगा।</p> <p>2. सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व सरकारी और पीएसयू/पीएसबी कॉर्पोरेट अभिदाताओं के मामले में स्रोत नोडल कार्यालय द्वारा आईएसएस अनुरोध प्राधिकृत किया जाएगा।</p> <p>3. सरकारी क्षेत्र और पीएसयू/पीएसबी कॉर्पोरेट अभिदाताओं के मामले में, सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता की तिथि के पश्चात् स्रोत नोडल कार्यालय द्वारा आईएसएस को प्राधिकृत करने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>4. पदत्याग/सेवानिवृत्ति के मामले में कॉर्पोरेट क्षेत्र नोडल कार्यालयों के पास अंतर्निहित अभिदाताओं को चिन्हित करने का विकल्प।</p> <p>5. कॉर्पोरेट अभिदाताओं को उनके चिह्नित/सेवानिवृत्ति होने की तिथि से 90 दिनों के बाद भारत के सर्व नागरिक क्षेत्र में स्वतः अंतर-क्षेत्रीय स्थानान्तरण किया जाएगा।</p> <p>6. कॉर्पोरेट/सरकारी क्षेत्र नोडल कार्यालयों के पास दस्तावेजों को अपलोड करने के विकल्प के साथ ही प्रान को चिन्हित करने और हटाने के लिए "No ISS" का विकल्प है, जिससे प्रान के लिए कोई भी स्थानान्तरण अनुरोध संसाधित न हो।</p>

क्र.सं.	विकास/कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
3	मौजूदा निवेश पैटर्न को जारी रखने का विकल्प	अंतर क्षेत्रीय स्थानान्तरण के दौरान मौजूदा निवेश चयन (पेंशन निधि प्रबंधक/आस्ति आवंटन) को जारी रखने का विकल्प। यह निम्नलिखित पर लागू है: 1. कॉर्पोरेट क्षेत्र अभिदाता का भारत के सर्व नागरिक क्षेत्र में स्थानान्तरण। 2. सरकारी क्षेत्र अभिदाताओं का भारत के सर्व नागरिक क्षेत्र में स्थानान्तरण।
4	KYNA - चैटबोट द्वारा सुविधाओं का लाभ उठाना	चैटबोट के फेज II का क्रियान्वयन – अब, एनपीएस अभिदाता KYNA के माध्यम से देख सकते हैं। 1. खाता शेष राशि – अभिदाता अपने प्रान में टियर के अनुसार और योजनावार शेषराशि देख सकते हैं। 2. अंतिम पांच अंशदान – अभिदाता प्रान में टियर के अनुसार किए गए अंतिम पांच अंशदान देख सकते हैं।
5	एनपीएस नियमित/एनपीएस लाइट-एपीवाई- निपटान चक्र में T+3 से T+2 तक कमी	एनपीएस छूट अनुरोध, पूर्व के T+3 के बजाय T+2 निपटान चक्र के आधार पर संसाधित किए जाएंगे।
6	मोबाइल एप - लेनदेन विवरण डाउनलोड सुविधा	एनपीएस मोबाइल एप में लेनदेन विवरण को ईमेल पर प्राप्त करने के मौजूदा विकल्प के अलावा अभिदाता को लेनदेन विवरण डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।
7	एपीवाई- प्रत्याहरण के दौरान पेनी ड्राप प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल बैंक खाता सत्यापन	एपीवाई निकास अनुरोधों पर कारवाई के दौरान पेनी ड्राप का क्रियान्वयन : 1) यदि सीआरए रिकार्ड्स में मौजूद बैंक खाता संख्या/आईएफएस कोड, प्रत्याहरण फाइल रिकार्ड्स से मेल नहीं खाता तो अभिदाता के नाम का मिलान किया जाएगा। 2) यदि सीआरए रिकार्ड्स में मौजूद बैंक खाता संख्या/आईएफएस कोड, प्रत्याहरण फाइल रिकार्ड्स से मेल खाता है तो अभिदाता के नाम का मिलान नहीं किया जाएगा।
8	योजना वरीयता परिवर्तन समयसीमा में छूट	समान दिवस भुगतान में योजना वरीयता परिवर्तन अनुरोधों पर कारवाई के लिए प्रत्याहरण समयसीमा में छूट (अनुरोध प्रातः 10 बजे तक स्वीकार किए जाते हैं)

क्र.सं.	विकास/कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
9	टियर-II के तहत क्रेडिट कार्ड आधारित अंशदान को समाप्त करते हुए ई-एनपीएस भुगतान एकीकरण	ई एनपीएस पोर्टल पर क्रेडिट कार्ड भुगतान को निम्नलिखित कारणों से समाप्त किया गया है : 1. टियर II सक्रियण 2. मिश्रित अभिदाता पंजीकरण (टियर I + टियर II) 3. टियर II के लिए अंशदान
10	एनपीएस नियमित - अभिदाता पंजीकरण में परिवर्तन	सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए पृथक् पंजीकरण प्रपत्र की शुरुआत। प्रमुख परिवर्तन निम्नानुसार है : 1. नामिति वाले भाग से पता विवरण को हटाना। 2. नामिति के साथ सम्बन्ध। 3. बैंक शाखा और बैंक पता को हटाना 4. केवल एक पता कैप्चर किया जाएगा।
11	एनपीएस नियमित - अभिदाता संशोधन	बैंक विवरण संशोधन प्रक्रिया में परिवर्तन : 1. पेनी ड्राप के माध्यम से खाता सत्यापन: क) अभिदाता द्वारा किए गए अनुरोध :- i) यदि पेनी ड्राप और नाम मिलान प्रक्रिया सफल होती है, तो नोडल कार्यालय से प्राधिकृत करने की आवश्यकता नहीं है। ii) यदि पेनी ड्राप सफल होता है किन्तु नाम मिलान प्रक्रिया असफल हो जाती है तो नोडल कार्यालय से प्राधिकृत करना और दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है। ख) नोडल कार्यालय द्वारा शुरू किए गए अनुरोध - मेकर/चेकर प्रक्रिया। 2. अभिदाता द्वारा बैंक विवरण अपडेट करने में ई साइन के अतिरिक्त द्विस्तरीय ओटीपी प्रमाणीकरण की शुरुआत।
12	एनपीएस नियमित - अभिदाता संशोधन	निम्नलिखित विशेषताओं के लिए ई-साइन के अतिरिक्त द्विस्तरीय ओटीपी प्रमाणीकरण की शुरुआत : 1. अभिदाता द्वारा फोटो-सिग्रेचर अपडेट में। 2. अभिदाता द्वारा ई-नॉमिनेशन अपडेट में।
13	एनपीएस नियमित- योजना वरीयता परिवर्तन और उच्चतर इक्विटी आवंटन	1. टियर I में सक्रिय विकल्प के मामले में आस्ति वर्ग ई के लिए इक्विटी आवंटन में संकुचन (टेपरिंग) नहीं। 2. टियर II के मामले में आवंटन का संकुचन (टेपरिंग) किए बिना 100% इक्विटी आवंटन

क्र.सं.	विकास/कार्यप्रणालियों का नाम	विवरण
14	एनपीएस नियमित - ऑनलाइन पता परिवर्तन	ऑफलाइन आधार xml के अतिरिक्त, अभिदाता अपने लॉग-इन के माध्यम से निम्नलिखित का प्रयोग करते हुए पता अपडेट कर सकते हैं : 1) ड्राइविंग लाइसेंस (डिजीलॉकर) 2) ऑनलाइन आधार 3) आधार वीआईडी
15	गैर-करदाताओं के लिए स्वीकृत एपीवाई - अभिदाता पंजीकरण	दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाताओं द्वारा एपीवाई में अभिदाता पंजीकरण की अनुमति नहीं है।